



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-24072026-274751
CG-UP-E-24072026-274751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3838]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3838]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4008(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के तहत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती को भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम अधिकारी नामित किया गया है।

राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य में, लखनऊ मण्डल के बस्ती-गोंडा सेक्शन में गौर-बभनान स्टेशनों के मध्य कि.मी. 592/7-8 पर समपार संख्या-215 तथा मुण्डेरवा-ओरवारा स्टेशनों के मध्य कि.मी. 554/5-6 पर समपार संख्या-189 के बदले उपरिगामी सेतु के निर्माण के संदर्भ में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन एवं परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए, स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने हेतु सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम अधिकारी	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बस्ती	बस्ती	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/RSP/LJN/ROB/LA/BST]

अनुज मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 22nd July, 2026

S.O. 4008(E).— In exercise of the powers conferred by Clause 7A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as "**Competent Authority for Land Acquisition (CALA)**" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of Special Railway Project of "**Construction of ROB in lieu of (i) L.C. No. 215 at Km 592/7-8 between Gaur- Babhnan (ii) L.C. No. 189 at Km 554/5-6 between Munderwa-Orwara in Section Basti - Gonda of the Lucknow Divison of N.E. Railway**" in the state mentioned in column (4) and district mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

S.No.	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Special Land Acquisition Officer, Basti	Basti	Uttar Pradesh

[F. No. W/RSP/LJN/ROB/LA/BST]

ANUJ MITTAL, Chief Administrative Officer/Construction